

गाम पंचायतों की अनुमोदित सूची

**जनपद पंचायत राजनगर**

क्र.	विकास खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	विकास खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	विकास खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	राजनगर	तिलौहां	26	राजनगर	छलपतपुरा	51	राजनगर	राजगढ़
2	राजनगर	कोटा	27	राजनगर	थपपट	52	राजनगर	पाटन
3	राजनगर	परा	28	राजनगर	चैबर	53	राजनगर	उमरथा
4	राजनगर	कर्री	29	राजनगर	उदयपुरा	54	राजनगर	डुमरा
5	राजनगर	बिरोना	30	राजनगर	गेरा	55	राजनगर	बरा
6	राजनगर	पहरा	31	राजनगर	लखैरी	56	राजनगर	डिगौनी
7	राजनगर	बरेठी	32	राजनगर	नयागांव	57	राजनगर	भभुवा
8	राजनगर	सांदनी	33	राजनगर	पहाड़ीहीराजू	58	राजनगर	तालगांव
9	राजनगर	सिलावट	34	राजनगर	घूरा	59	राजनगर	ललपुर
10	राजनगर	बांदनी	35	राजनगर	गंगावाहा	60	राजनगर	घुन्चू
11	राजनगर	भैरा	36	राजनगर	बरद्वाहा	61	राजनगर	बिला
12	राजनगर	नदया	37	राजनगर	सीलोन	62	राजनगर	प्रतापपुरा
13	राजनगर	पहाड़ी मैमारू	38	राजनगर	बम्हौरीबहादुरजू	63	राजनगर	नहदौरा
14	राजनगर	इमिलिया	39	राजनगर	टतरा	64	राजनगर	धौगुवा
15	राजनगर	गढा	40	राजनगर	गेमाकलां	65	राजनगर	हकीमपुरा
16	राजनगर	कुटिया	41	राजनगर	पाय	66	राजनगर	पहरापुरवा
17	राजनगर	पारवा	42	राजनगर	मझगुवां	67	राजनगर	बमनौरा
18	राजनगर	कटारा	43	राजनगर	श्रनगुवां	68	राजनगर	धवाड़
19	राजनगर	सलैया	44	राजनगर	मनिया	69	राजनगर	बेनीगंज
20	राजनगर	गंज	45	राजनगर	खजवा	70	राजनगर	बराखेरा
21	राजनगर	बेड़री	46	राजनगर	पेरा	71	राजनगर	सूरजपुरा
22	राजनगर	ओटापुरवा	47	राजनगर	च्छन्नगर	72	राजनगर	भियाताल
23	राजनगर	झमटुली	48	राजनगर	ब्यारी	73	राजनगर	धमना
24	राजनगर	काबर	49	राजनगर	प्यरगुवां	74	राजनगर	शिवराजपुर
25	राजनगर	सेवड़ी	50	राजनगर	ठमलाहा	75	राजनगर	बमीठा
						76	राजनगर	टिकुरी

## जनपद पंचायत बिजावर

क्र.	विकास खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	विकास खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	बिजावर	गढा	22	बिजावर	पाटन
2	बिजावर	अनगौर	23	बिजावर	जखरौनकलां
3	बिजावर	गुलगंज	24	बिजावर	नारायनपुरा
4	बिजावर	गोपालपुरा	25	बिजावर	अमरपुरा
5	बिजावर	बकस्वाहा	26	बिजावर	कसार
6	बिजावर	मामौन	27	बिजावर	कुपिया
7	बिजावर	हटवाहा	28	बिजावर	अमरौनियां
8	बिजावर	पिपट	29	बिजावर	देवरा
9	बिजावर	पनागर	30	बिजावर	पतरा
10	बिजावर	जसगुवांखुंद	31	बिजावर	बड़ागांव
11	बिजावर	भारतपुरा	32	बिजावर	शाहगढ़
12	बिजावर	विलगांय	33	बिजावर	मझगुवाकलां
13	बिजावर	रगौली	34	बिजावर	मोतीगढ़
14	बिजावर	डारगुवां	35	बिजावर	कुपी
15	बिजावर	लखनगुवां	36	बिजावर	बांकीगर्ली
16	बिजावर	पाली	37	बिजावर	नेगुवां
17	बिजावर	महुवाझाला	38	बिजावर	कदवारा
18	बिजावर	बक्सोही	39	बिजावर	मतीपुरा
19	बिजावर	एरोरा	40	बिजावर	नगदा
20	बिजावर	गुलाट	41	बिजावर	जैतपुर
21	बिजावर	बेरखेरी	42	बिजावर	डिलारी
			43	बिजावर	नयाताल

## जनपद पंचायत छतरपुर

क्र.	जनपद का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	जनपद का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	जनपद का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	छतरपुर	कूंड	20	छतरपुर	रमपुरा	39	छतरपुर	अतरार
2	छतरपुर	सलैया	21	छतरपुर	महेबा	40	छतरपुर	छापर
3	छतरपुर	बिहटा	22	छतरपुर	रामपुर दिला	41	छतरपुर	पिड़पा
4	छतरपुर	कुर्रा	23	छतरपुर	खरका	42	छतरपुर	कलानी
5	छतरपुर	बरद्वाहा	24	छतरपुर	कालापानी	43	छतरपुर	मोरबा
6	छतरपुर	सुकवां	25	छतरपुर	धौरी	44	छतरपुर	हमां
7	छतरपुर	कीरतपुरा	26	छतरपुर	पनौठा	45	छतरपुर	सरानी
8	छतरपुर	बंधीकला	27	छतरपुर	मातगुवां	46	छतरपुर	बरकौंहा
9	छतरपुर	पठादा	28	छतरपुर	इकारा	47	छतरपुर	गुरैया
10	छतरपुर	ईशानगर	29	छतरपुर	मलपुरा	48	छतरपुर	रामगढ़
11	छतरपुर	रनगुवां	30	छतरपुर	गौरगांय	49	छतरपुर	पुछी
12	छतरपुर	खैरों	31	छतरपुर	पठापुर	50	छतरपुर	बसाटा
13	छतरपुर	पुरवा	32	छतरपुर	ढड़ारी	51	छतरपुर	निवारी
14	छतरपुर	टुड़र	33	छतरपुर	छिरावल	52	छतरपुर	कांटी
15	छतरपुर	गोरा	34	छतरपुर	बनगांय	53	छतरपुर	गंगांयच
16	छतरपुर	नंदगांयकल I	35	छतरपुर	कैड़ी	54	छतरपुर	थरा
17	छतरपुर	परापट्टी	36	छतरपुर	धमौरा	55	छतरपुर	अतनिय i
18	छतरपुर	पहाड़गांव	37	छतरपुर	सौरा	56	छतरपुर	बृजपुरा
19	छतरपुर	गहरवार	38	छतरपुर	बगौता	57	छतरपुर	पड़रिया

## जनपद पंचायत बडामलहरा

क्र.	विकास खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	विकास खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	विकास खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	बड़ामलहरा	कुडेला	21	बड़ामलहरा	दलीपुर	41	बड़ामलहरा	सेंधपा
2	बड़ामलहरा	बछरावनी	22	बड़ामलहरा	पुरापट्टी	42	बड़ामलहरा	मैलवार
3	बड़ामलहरा	बूदौर	23	बड़ामलहरा	भगवां	43	बड़ामलहरा	परा
4	बड़ामलहरा	कुटौरा	24	बड़ामलहरा	फुटवारी	44	बड़ामलहरा	सूरजपुराखुर्द
5	बड़ामलहरा	स्वारा	25	बड़ामलहरा	कुवरपुरा	45	बड़ामलहरा	कर्री
6	बड़ामलहरा	अमरवा	26	बड़ामलहरा	बरमा	46	बड़ामलहरा	सैरारा
7	बड़ामलहरा	बारौ	27	बड़ामलहरा	झिंगरी	47	बड़ामलहरा	बमनीघाट
8	बड़ामलहरा	बम्हौरीखुर्द	28	बड़ामलहरा	गोरखपुरा	48	बड़ामलहरा	कायन
9	बड़ामलहरा	हलावनी	29	बड़ामलहरा	धनगुवां	49	बड़ामलहरा	रजपुरा
10	बड़ामलहरा	सोरई	30	बड़ामलहरा	सडवा	50	बड़ामलहरा	गरखुवां
11	बड़ामलहरा	सौरखी	31	बड़ामलहरा	सूरजपुरारोड	51	बड़ामलहरा	महराजगंज
12	बड़ामलहरा	सरकना	32	बड़ामलहरा	खरदूती	52	बड़ामलहरा	सिगरामपुरा
13	बड़ामलहरा	सिमरिया	33	बड़ामलहरा	मढ़ीखेरा	53	बड़ामलहरा	रानीताल
14	बड़ामलहरा	विश्वा	34	बड़ामलहरा	बीरौ	54	बड़ामलहरा	ढिकौली
15	बड़ामलहरा	बंधाचंदौली	35	बड़ामलहरा	बरेठी	55	बड़ामलहरा	बोंकना
16	बड़ामलहरा	पनवारी	36	बड़ामलहरा	सतपारा	56	बड़ामलहरा	देवरान
17	बड़ामलहरा	भोयरा	37	बड़ामलहरा	भोजपुरा	57	बड़ामलहरा	बंधाचमरोई
18	बड़ामलहरा	भेल्दा	38	बड़ामलहरा	लिधौरा	58	बड़ामलहरा	करकी
19	बड़ामलहरा	देवपुरप्रथम	39	बड़ामलहरा	पिपराकलौ	59	बड़ामलहरा	देवपुरद्वितीय
20	बड़ामलहरा	बमनौराकलां	40	बड़ामलहरा	राजापुर	60	बड़ामलहरा	पनया

## जनपद पंचायत बकस्वाहा

क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	बकस्वाहा	नैनागिरि	20	बकस्वाहा	गडोही
2	बकस्वाहा	मानकी	21	बकस्वाहा	सुनवाहा
3	बकस्वाहा	चौरई	22	बकस्वाहा	धरमपुरा
4	बकस्वाहा	निवार	23	बकस्वाहा	जैतूपुरा
5	बकस्वाहा	सेडारा	24	बकस्वाहा	किशुनपुरा
6	बकस्वाहा	महुटा	25	बकस्वाहा	पाली
7	बकस्वाहा	घोघरा	26	बकस्वाहा	कैरवारा
8	बकस्वाहा	मडियाबुजुर्ग	27	बकस्वाहा	तेइयामार
9	बकस्वाहा	गुगवारा	28	बकस्वाहा	बीरमपुरा
10	बकस्वाहा	बम्हौरी	29	बकस्वाहा	मझौरा
11	बकस्वाहा	बेरखेरी	30	बकस्वाहा	दरगुवां
12	बकस्वाहा	मझगुवाघाटी	31	बकस्वाहा	भुजपुरा
13	बकस्वाहा	देवरी	32	बकस्वाहा	ढिमरवा
14	बकस्वाहा	सुजारा	33	बकस्वाहा	बाजना
15	बकस्वाहा	देवपुर	34	बकस्वाहा	निमानी
16	बकस्वाहा	खमरिया	35	बकस्वाहा	पड़रिया
17	बकस्वाहा	मडिया	36	बकस्वाहा	कुशमाड
18	बकस्वाहा	सानौदा	37	बकस्वाहा	गढीसेमरा
19	बकस्वाहा	मडदेवरा	38	बकस्वाहा	चाचईसेमरा
			39	बकस्वाहा	कंजरा

## जनपद पंचायत बारीगढ़

क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	बारीगढ़	प्रकाश बम्हौरी	15	बारीगढ़	चित्तहरी	29	बारीगढ़	पहरा
2	बारीगढ़	मुडेहरा	16	बारीगढ़	मनुरिया	30	बारीगढ़	किशुनपुर
3	बारीगढ़	करहरी	17	बारीगढ़	सिसोलर	31	बारीगढ़	बिजासिन
4	बारीगढ़	टिकरी	18	बारीगढ़	कटरा	32	बारीगढ़	मालपुर
5	बारीगढ़	चंदवारा	19	बारीगढ़	गौरिहार	33	बारीगढ़	बरुवा
6	बारीगढ़	धवारी	20	बारीगढ़	गहबरा	34	बारीगढ़	पड़वार
7	बारीगढ़	पल्टा	21	बारीगढ़	घटरा	35	बारीगढ़	निधौली
8	बारीगढ़	अलीपुर	22	बारीगढ़	खड्डी	36	बारीगढ़	ठर्कुरा
9	बारीगढ़	रेवना	23	बारीगढ़	कितपुरा	37	बारीगढ़	नांद
10	बारीगढ़	अमऊ	24	बारीगढ़	हनुखेड़ा	38	बारीगढ़	सरवाई
11	बारीगढ़	जरेहटा	25	बारीगढ़	नदौता	39	बारीगढ़	पचवरा
12	बारीगढ़	सिचहरी	26	बारीगढ़	बहादुरपुर	40	बारीगढ़	चुकेहटा
13	बारीगढ़	बरहा	27	बारीगढ़	नाहरपुर	41	बारीगढ़	महोबा
14	बारीगढ़	मझपटिया	28	बारीगढ़	उदयपुर	42	बारीगढ़	गोयरा
						43	बारीगढ़	कोथेहां

## जनपद पंचायत नौगांव

क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	क्र.	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
1	नौगांव	कैथोकर	18	नौगांव	खुर्दा	35	नौगांव	बुडरख
2	नौगांव	सरसेड़	19	नौगांव	झींझन	36	नौगांव	बिकौरा
3	नौगांव	काकुनपुरा	20	नौगांव	लुगासी	37	नौगांव	मऊपुर
4	नौगांव	गलान	21	नौगांव	दौनी	38	नौगांव	गौरारी
5	नौगांव	रानीपुरा	22	नौगांव	महतौल	39	नौगांव	ऊजरा
6	नौगांव	कराठा	23	नौगांव	सिन्दुरखी	40	नौगांव	खिरी
7	नौगांव	जोरन	24	नौगांव	गौर	41	नौगांव	मटौंधाचौबन
8	नौगांव	इमलियां	25	नौगांव	मलका	42	नौगांव	बरोही
9	नौगांव	चुरवारी	26	नौगांव	उर्दमऊ	43	नौगांव	दिलनियाँ
10	नौगांव	करारागंज	27	नौगांव	बेदार	44	नौगांव	पड़वाहा
11	नौगांव	अलीपुरा	28	नौगांव	गुंदारा	45	नौगांव	नयागाँव
12	नौगांव	बड़ागाँव	29	नौगांव	ढिगपुरा	46	नौगांव	बिलहरी
13	नौगांव	दौरिया	30	नौगांव	खिरवा	47	नौगांव	सिंगरावनखुर्द
14	नौगांव	चौबारा	31	नौगांव	मुखर्दा	48	नौगांव	धरमपुरा
15	नौगांव	नैगुवां	32	नौगांव	सिंहपुर	49	नौगांव	सरदारपुर
16	नौगांव	मऊसहानियाँ	33	नौगांव	टटम	50	नौगांव	मडरखा
17	नौगांव	मानपुरा	34	नौगांव	मनकारी	51	नौगांव	नुना

## जनपद पचायत लौड़ी

दौनी, भडार, रगौली, पीरा, गिलौहा, दिदवारा, ज्योराहा, मिढका, बम्होरी, अक्ठोहा, टहनगा, हरद्वार, बगमऊ, पुरवाबम्होरी, गुढाकला, मढा, देवपुर, परसनियां, भैरा, विगपुर, बेडी, सिजई, गुधौरा, मुड़ेरी, अंधियारीवारी, देवरी, राजापुर, सूरजपुर, पटना, बलकौरा, लुधगांव, कटिया, लबरहा, रानीपुर, बछौन, पंचमनगर, छतपुरा, रावपुर, पाण्डेपुरवा, छठीबम्होरी, गनपतखोड़ा, रमझाला, घूरापुरवा, बैरगियापुखरी, हथौहा, बंजारी, ब्यासबदौरा, हरई, हिनौता।

### कुल ग्राम पंचायत – 49

#### परिशिष्ट-1

#### 1. ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया:-

- 1.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिले की उन ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन किया जाएगा, जहां योजना प्रारंभ से किन्हीं दो वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रु.10 लाख या उससे अधिक का व्यय किया गया हो। जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को ऐसी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत की सहायता से ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाएगी।
- 1.2 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरांत ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी।
- 1.3 सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन में आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा किए जाएंगे।
- 1.4 सभी प्राप्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की सामान्य सभा के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे। ग्राम पंचायत की सामान्य सभा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर मेरिट लिस्ट बनाएगी। इस हेतु कंडिका 4.7 में दिये गये मापदण्डों के आधार पर उम्मीदवारों को अंक दिये जाएंगे और प्राप्तांकों के अवरोही क्रम में उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन

सूची में रखा जाएगा तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अगले क्रम के 02 उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।

- 1.5 ग्राम पंचायत की सामान्य सभा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) जो कि आगे इन नियमों में कार्यक्रम अधिकारी के नाम से उल्लेखित रहेंगा एवं इनके द्वारा नामांकित एक अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेगा जो यह देखेगा कि समस्त कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संपन्न की जा रही है।
- 1.6 ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई गई सूची में रखे गये उम्मीदवार की नियुक्ति की अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी जनपद (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव के साथ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना, ग्राम पंचायत की सामान्य सभा का कार्यवाही विवरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा नामांकित पर्यवेक्षक के प्रमाणीकरण की प्रतियाँ भी भेजी जाएगी।

जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा अनुमोदन दिये जाने के उपरांत कार्यक्रम अधिकारी सम्बन्धित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में करार कार्यक्रम अधिकारी, जनपद एवं चयनित उम्मीदवार के मध्य संपादित होगा। चयनित उम्मीदवार के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता तो कार्यक्रम अधिकारी प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान में रखे गये उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करेगा एवं उसके द्वारा भी नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी प्रतीक्षा सूची में द्वितीय स्थान पर रखे गये उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करेगा।

## 2 अर्हताएं

### (क) न्यूनतम अर्हताएं

- (एक) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता।  
(दो) आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष।

### (ख) वांछित अर्हताएं

- (एक) राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी/3-11/08/3/एक, भोपाल, दिनांक 12.06.09 में उल्लेखित संस्थाओं से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा :-

- (i) Diploma from all Universities recognized by UGC.
- (ii) Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
- (iii) Diploma level examination from DOEACC.
- (iv) Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.
- (दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर अथवा मेट के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव
- (तीन) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
  - (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत एकाउन्टेन्सी,कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री आपरेटर, आर्किटेक्ट,असिस्टेंट में 6माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्ट्समेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त।

3 चयन के मापदण्ड :-

स.क्र.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1.	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) में प्राप्तांकों का प्रतिशत के बराबर अंक	100
2.	(i) राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर संचालन का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हेतु  या  (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा रोजगारन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री आपरेटर कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त	20
3.	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में संविदा पर अथवा मेट के रूप में एक वर्ष से अधिक अवधि का कार्य करने का अनुभव	15
4	(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यावसाय में प्रशिक्षित । (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत एकाउन्टेन्सी, आर्किटेक्ट असिस्टेंट में 6 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त (3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्ट्समेन/सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त	15
<b>योग</b>		<b>150</b>

3.2 दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में चयन किया जायेगा :-

- 3.2.1 अनुसूचित जनजाति महिला
- 3.2.2 अनुसूचित जनजाति पुरुष
- 3.2.3 अनुसूचित जाति महिला
- 3.2.4 अनुसूचित जाति पुरुष
- 3.2.4 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
- 3.2.5 अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष
- 3.2.6 सामान्य महिला
- 3.2.7 सामान्य पुरुष

उपरोक्त सभी प्रवर्ग में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में स्थानीय ग्राम पंचायत के निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय निवासी होने का प्रमाण लोकसभा चुनाव, 2009 की अंतिम मतदाता सूची का माना जावेगा।

इसके बाद भी दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

**4. संविदा अनुबंध शर्तें :-**

- 4.1 नियुक्ति का करार ग्राम रोजगार सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी रोजगार गारंटी योजना के बीच मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा तैयार किये गये प्रारूप में अनुबंध किया जाएगा।
- 4.2 संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को रूपये 3200/- प्रतिमाह की दर से एक मुश्त संविदा रकम देय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य ओर वेतन भत्ते आदि देय नहीं होंगे। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सशक्त समिति समय-समय पर संविदा रकम में वृद्धि कर सकेगी। संविदा रकम का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा सीधे ग्राम रोजगार सहायक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- 4.3 चयनित ग्राम रोजगार सहायक को 01 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। उसका कार्य संतोषजनक होने व कार्य की आवश्यकता होने पर कार्यक्रम अधिकारी, जनपद के द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर एक समय में 01 वर्ष के लिये संविदा का नवीनीकरण किया जाएगा।
- 4.4 यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जायेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही ग्राम रोजगार सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रूपये 10 लाख से कम व्यय किया गया हो तो अगले वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित ग्राम पंचायत में 31 मार्च को संविदा ग्राम रोजगार सहायक की सेवायें स्वयमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 4.5 कार्यक्रम अधिकारी, जनपद या संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में 01 माह की संविदा रकम का भुगतान कर संविदा समाप्त की जा सकेगी।

- 5. नियंत्रण :** ग्राम रोजगार सहायक प्रशासकीय तौर पर ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा, नियंत्रण संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। कर्तव्य की घोर उपेक्षा, कर्तव्य की अवहेलना, अनियमितता, नैतिक पतन के फलस्वरूप पद पर बना रहना लोकहित में वांछनीय न होने की दशा में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होंगे। ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ सूचना दिये जाने तथा यदि कोई उत्तर उनके द्वारा दिया जाता है तो उस पर ग्राम पंचायत की सामान्य सभा में विचार कर कर्तव्य की घोर उपेक्षा, कर्तव्य की अवहेलना, अनियमितता के कारण का उल्लेख कर प्रतिवेदन कार्यक्रम अधिकारी, जनपद को दिया जाएगा।

- 5.1 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को समक्ष में सुना जायेगा ।  
ग्राम पंचायत तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा दिया गया उत्तर/प्रस्तुत पक्ष का परीक्षण उनके द्वारा किया जायेगा तदुपरान्त उनके द्वारा पारित निर्णय ग्राम रोजगार सहायक को बाध्यकारी होगा ।
- 5.2 नियुक्ति से संबंधी शिकायत तथा नियुक्ति से पृथक करने के संबंध में ग्राम रोजगार सहायक को 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार रहेगा। अपीलीय अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक रहेंगे। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अपील का निराकरण 90 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जायेगा ।
- 5.3 चयन प्रक्रिया में मापदण्डों/अर्हताओं का पालन न करने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वतः कारवाई कर सकता है। उक्त प्रकरण का निराकरण अनिवार्यतः 90 दिवस में किया जाएगा ।
- 5.4 नियुक्तियों से पृथक करने संबंधी शिकायत पर स्व प्रेरणा में पुनःनिरीक्षण का अधिकार म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद के उपाध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित किसी सदस्य को रहेगा ।
- 5.5 ग्राम रोजगार सहायक पर जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा । यदि कर्तव्य की घोर उपेक्षा, कर्तव्य की अवहेलना, अनियमितता ग्राम रोजगार सहायक द्वारा वांछित जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहता है तो ऐसी परिस्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजेंगे ।
- 5.6 यदि ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा, कर्तव्य का अवहेलना, अनियमितता आदि का प्रस्ताव जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) से जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्राप्त होता है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक ग्राम रोजगार सहायक का उत्तर प्राप्त करने के उपरांत उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे ।
- 5.7 जिला कार्यक्रम समन्वयक आवश्यक समझते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की अनियमितता/लापरवाही उनके ध्यान में लाई जाती है, तो वे संबंधित ग्राम पंचायत को निर्देशित कर सकेंगे कि वह 30 दिवस के भीतर उक्त ग्राम रोजगार सहायक के संबंध में उपरोक्त संबंध में कार्रवाई करें ।
- 5.8 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में निर्धारित समयावधि में ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में प्रावधानित कार्रवाई नहीं की जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं

शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम रोजगार सहायक के संबंध में कार्रवाई करेंगे।

- 5.9 मूल्यांकन पत्रक:— ग्राम रोजगार सहायक के मूल्यांकन पत्रक लिखने के लिए पंचायत समन्वयक अधिकारी प्रथम प्रतिवेदक अधिकारी, ग्राम पंचायत सरपंच द्वितीय प्रतिवेदक अधिकारी, पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक समीक्षाकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (कार्यक्रम अधिकारी) स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे। जनपद पंचायत कार्यालय मूल्यांकन पत्रक रखे जाने वाला कार्यालय होगा। मूल्यांकन पत्रक के द्वारा कार्य से होने वाले (कार्यक्रम अधिकारी को देय होगा) पत्रके के अनुसार किये गये कार्य हो सकते हैं तथा प्रतिवेदक

(आर. परशुराम)

प्रमुख सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

## आवेदन पत्र का प्ररूप

- 1 पद क्रम संख्या .....
- 2 पद नाम .....
- 3 आवेदक का नाम.....
- 4 आवेदक के पिता/पति का नाम.....
- 5 आवेदक का वर्तमान पता.....
6. आवेदक का स्थाई पता .....
7. दूरभाष क्रमांक .....
8. मोबाइल नं. ....
9. (अ) जन्म तिथि— (अंको में).....  
(शब्दों में).....  
(ब) 1 जनवरी 2007 को आयु— दिन .....माह.....वर्ष.....
10. जाति .....
11. वर्ग : अनु.जातिअनु. जनजातिधपिछड़ा वर्ग धविकलांगध भूतपूर्व सैनिक,  
(प्रमाण पत्र सहित)
12. शारीरिक निशक्तता हाँधनहीं। यदि हाँ, तो दृष्टिबाधितअस्थिबाधितध  
मूकबधिर का प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
13. क्या म.प्र. के स्थायी निवासी है :- हाँधनहीं। यदि हां, तो गृह जिले का  
नाम .....
- 14 शैक्षणिक योग्यता

स्वयं द्वारा  
सत्यापित  
पासपोर्ट  
फोटो

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने/अनुभव का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	श्रेणी
1.	हायर सेकेण्डरी				
2.	अन्य 1.कम्प्यूटर 2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा पद पर कार्य 3. मेट के रूप में अनुभव				

### 15 कार्य अनुभवधरोजगार का विस्तृत विवरण:

क्र.	कब से	कब तक	कंपनी	विभाग	संस्था	धारित पद	कार्य का विवरण	अंतिम वेतन

16. ऐसे दो व्यक्तियों का नामधृताध्देलीफोन नं. जो आपके रिश्तेदार नहीं हो तथा जो आपके बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित कर सके। (अ).....  
.....(ब).....

### घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करताध्दकरती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही करने के पूर्ण अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक को होंगे।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

### संलग्न:-

- (1) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित ।
- (2) जाति प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- (3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- (4) मेट के रूप में अनुभव कार्य का प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- (5) कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त का प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- (6) लोकसभा मतदाता सूची क्रमांक.....की प्रतिलिपि।

## ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली पावती का प्ररूप

श्री / श्रीमती / कु.....निवासी.....द्वारा ग्राम  
रोजगार सहायक संविदा पद ग्राम पंचायत.....हेतु आवेदन पत्र आज दिनांक.....  
.....को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें निम्न दस्तावेज संलग्न है:-

### संलग्न:-

- (1) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित ।
- (2) जाति प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- (3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने का अनुभव  
प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- (4) मेट के रूप में अनुभव कार्य का प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- (5) कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त का प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- (6) लोकसभा मतदाता सूची क्रमांक.....की प्रतिलिपि।

**ग्राम रोजगार सेवक के माइल स्टोन**

क्र.	चेक लिस्ट	समय सीमा
1	योजना प्रारंभ से अर्थात् 2006-07, 2007-08 तथा 2008-2009 से किन्हीं दो वित्तीय वर्ष में जिस ग्राम पंचायत में रु.10 लाख या अधिक प्रतिवर्ष का कार्य हुआ है, का आकलन एवं गणना करना।	25.1.2010
2	नियुक्ति हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ऐसी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत की सहायता से ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाना।	यदि जिले में प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है तो आचरण आचार संहिता पश्चात् कार्यवाही प्रारंभ करें।
3	ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी करना एवं पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित करना। (विज्ञप्ति जारी होना)	8.2.2010
4	आवेदन पत्र 15 दिवस अवधि में प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा छटनी करना।	26.2.2010
5	सभी आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत की सामान्य सभा के समक्ष रखना।	मार्च, 2010 के प्रथम सप्ताह में
6	उक्त सामान्य सभा प्रत्येक चिन्हांकित ग्राम पंचायत हेतु कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना।	2.3.2010
7	मेरिट लिस्ट एवं प्रतीक्षा सूची बनाना।	6.3.2010
8	चयन सूची का अनुमोदन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक से प्राप्त करना।	16.3.2010
9	कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर अनुबंध करना।	17.3.2010
10	नव नियुक्त ग्राम रोजगार सेवकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ	25.3.2010